संख्या-148/2015/1504जेएल/22-3-15-800(17)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी अरविन्द कुमार मिश्र उर्फ राजू पुत्र स्व0 संकटा प्रसाद मिश्र, निवासी-ग्राम-सरावा (पूरे नन्दराम पुरवा), थाना-तरबगंज, जिला-गोण्डा को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी अरविन्द कुमार मिश्र उर्फ राजू पुत्र स्व0 संकटा प्रसाद मिश्र, निवासी-ग्राम-सरावा (पूरे नन्दराम पुरवा), थाना-तरबगंज, जिला-गोण्डा को शासनादेश संख्या-90/2015/993जेएल/22-3-15-800(17)/2015, दिनांक 07-04-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-148/2015/1504जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in